न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर

पीठासीन अधिकारीः— जयप्रकाश, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्याः— 01/2018/रेफरेन्स

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खण्डेला (भूमिधारी) जिला सीकर

प्रार्थी

बनाम

1 निर्मल कुमार
2 प्रताप सिंह
3 प्रदीप कुमार
} पुत्रगण स्व0 राधेश्याम

4 सुन्दर देवी पत्नी स्व0 राधेश्याम

समस्त जाति जाट निवासी श्रीमाधोपुर हाल निवासी कासरड़ा तहसील खण्डेला जिला सीकर

अप्रार्थीगण

रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 भू—राजस्व अधिनियम 1956

वकील अप्रार्थी श्री मदनलाल शर्मा

निर्णय दिनांकः—31.07.2019

इस प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि मौजा ग्राम कांसरड़ा तहसील खण्डेला जिला सीकर की हाल जमाबन्दी सम्वत् 2070—73 के खाता संख्या 85 के अनुसार ग्राम कासरड़ा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 336/717 रकबा 3.75 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम की खातेदारी निर्मल कुमार, प्रताप सिंह, प्रदीप कुमार पि. राधेश्याम सुन्दर देवी पत्नि राधेश्याम जाति जाट सा. श्रीमाधोपुर खातेदार के नाम से दर्ज रिकार्ड है। उक्त वर्णित भूमि के गत खसरा नम्बर एवं पूर्व के रिकार्ड की स्थिति निम्नानुसार दर्ज रिकार्ड है—

क्र. सं.	जमाबन्दी/ मिसल सम्वत्	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	गैर खातेदार का नाम व विवरण
1.	2008—27 मिसल	193	144 बिघा 16 बिश्वा	गै.मु. जोड़ा	मकबूजा मालिकान बिला लगानी
2.	2046—49	336	23.65 है.	गै.मु. जोहड़ा	ना.स. 19 से 336/2/717 रकबा 3.75 है. राधेश्याम पुत्र जगुराम जाट निवासी श्रीमाधोपुर गैर खातेदार
3.	2054—57	336/717	3.75 है.	बरानी सोयम	राधेश्याम पुत्र जगुराम कोम जाट नि. श्रीमाधोपुर गैर खातेदार
4.	2066—69	336/717	3.75 है.	बरानी सोयम	राधेश्याम पुत्र जगुराम कोम जाट नि. श्रीमाधोपुर गैर खातेदार के बजाय ना.स. 526 से निर्मल कुमार प्रताप सिंह प्रदीप कुमार पि. राधेश्याम सुन्दर देवी पत्नि राधेश्याम सा. श्रीमाधोपुर खातेदार
5.	2070—73	336/717	3.75 है.	बरानी सोयम	निर्मल कुमार, प्रताप सिंह, प्रदीप कुमार पि. राधेश्याम, सुन्दर देवी पत्नि राधेश्याम कोम जाट सा. श्रीमाधोपुर खातेदार

सत्यमेव जयते

उक्त वर्णित भूमि जरिये आवंटन ना.सं. 19 दिनांक 16.10.1989 से गैर खातेदरी दर्ज हो गई है। उक्त वर्णित भूमि D.B. सिविल जनहित याचिका संख्या 1530/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार माननीय उच्च न्यायालय का आदेश 08.08.2004 में जारी निर्णय से प्रभावित है। अतः उक्त भूमि की किस्म गै.मु. जोहड़ा होने से आवंटन/खातेदारी निरस्तनिय है। उक्त भूमि की खातेदारी किसी निजी व्यक्ति को दिया जाना या अन्तरण किया जाना राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत प्रतिबन्धित है। इस सम्बन्ध में किये गये समस्त प्रकार के आवंटन/गैर खातेदारी से खातेदारी तथा आज तक की गई परिवर्तन की कार्यवाही प्रारम्भ से ही शून्य प्रभावी (Null & Void) है। सार्वजनिक उपभोग की उक्त विवादित भूमि किसी व्यक्ति विशेष की खातेदारी कब्जे में दिया जाना न्यायोचित नहीं है। इस प्रकार की भूमियों की सुरक्षा करना प्रार्थी तहसीलदार (भूमिधारी) का कर्तव्य है। अतः निवेदन है कि रेफरेंस प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर ग्राम कासरड़ा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 336/717 रकबा 3.75 है. किस्म बारानी सोयम की खातेदारी अप्रार्थीगण के खाते से हटाई जाकर राजस्थान सरकार के नाम दर्ज करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें तथा अन्य सिद्धि जो राज्य हित व सार्वजनिक हित में दिया जाना उचित हो वह भी दिलाने की कृपा करें।

विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। मिसल बन्दोबस्त सम्वत् 2008–2027 के मुताबिक खसरा नम्बर 193 की किस्म गै.मु.जोड़ा दर्ज रिकार्ड है। सेटलमेन्ट के दौरान खसरा नम्बर 193 के नये खसरा नम्बर 336 दर्ज कर दिये गये। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी सं. 2046 से 2049 में खसरा नम्बर 336 रकबा 23.65 है0 किस्म गै.मु.जोहड़ा के नाम से दर्ज रिकार्ड है एवं नामान्तकरण संख्या 19 दिनांक 16.10.1989 से उक्त खसरा नम्बर में से 3.75 है0 की गैर खातेदारी राधेश्याम पुत्र जगूराम जाट निवासी श्रीमाधोपुर के नाम अंकित कर दी गई तथा तरमीम द्वारा नम्बर 336/2/717 राधेश्याम के नाम दर्ज कर दिये गये। जमाबन्दी सम्वत् 2054 से 2057 के मुताबिक खसरा नम्बर 336/717 रकबा 3.75 है0 के काश्तकार के कॉलम में गैर खातेदार राधेश्याम पुत्र जगूराम कौम जाट सा. श्रीमाधोपुर गैर खातेदार के नाम से दर्ज है। जमाबन्दी सम्वत् 2066 से 2069 के मुताबिक खसरा नम्बर 336/717 रकबा 3.75 है0 में राधेश्याम पुत्र नानूराम गैर खातेदार से खातेदारी का नामान्तकरण संख्या 526 के द्वारा निर्मल कुमार प्रताप सिंह प्रदीप कुमार पि. राधेश्याम सुन्दर देवी पत्नी राधेश्याम सा. श्रीमाधोपुर जाति जाट के नाम से तस्दीक कर दिया गया। जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2073 के मुताबिक खसरा नम्बर 336/717 रकबा 3.75 है0 की खातेदारी निर्मलकुमार प्रतापसिंह प्रदीपकुमार पि. राधेश्याम सुन्दरदेवी पत्नी राधेश्याम कौम जाट सा. श्रीमाधोपुर के नाम से दर्ज रिकार्ड है। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने दौराने बहस न्यायीक दृष्टांत पेश किये। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत में RRD 1965 पेज नम्बर 261, AIR 2014 पेज नम्बर 3070 से 3078, RLW 1996 पेज नम्बर 450 से 453, RRD 2006 पेज नम्बर 783, RRD 2006 पेज नम्बर 163, RRD 1996 पेज नम्बर 170, DNJ 2004(3) पेज नम्बर 1245 पेश किये। हस्तगत प्रकरण की परिस्थितियां प्रस्तुत न्यायीक दृष्टांत में विवेचित प्रकरण की परिस्थितियों से भिन्न है। पत्रावली पर उपलब्ध मिसल बन्दोबस्त सम्वत् 2008–2027 एवं जमाबन्दी सम्वत् 2046 से 2049 के मुताबिक खसरा नम्बर 336 रकबा 23.65 है0 की किस्म गै.मु.जोहड़ा के नाम से दर्ज रिकार्ड है। विवादग्रस्त आराजियात की किस्म गै.मु.जोहड़ा दर्ज रिकार्ड होने के बावजूद उक्त भूमि जरिये नामान्तकरण संख्या 19 के द्वारा राधेश्याम पुत्र जगूराम गैरखातेदार के नाम से तस्दीक कर दिया गया। गैरखातेदार राधेश्याम पुत्र जगूराम फौत होने पर विरासत का नामान्तकरण संख्या 526 के द्वारा निर्मलकुमार प्रतापसिंह प्रदीपकुमार पि0 राधेश्याम के नाम से गैरखातेदारी से खातेदारी दर्ज कर दी गई। विवादग्रस्त आराजियात की किस्म शुरू से ही गै.मु.जोहड़ा दर्ज

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अन्तर्गत प्रतिबन्धित है। जिसमें खातेदारी अधिकार दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र रेफरेन्स स्वीकार किये जाने योग्य है।

निष्कर्षतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.08.2004 अब्दूल रहमान बनाम स्टेट को मध्यनजर रखते हुए प्रार्थना पत्र रेफरेन्स स्वीकार किया जाकर ग्राम कांसरड़ा तहसील खण्डेला जिला सीकर की भूमि खसरा नम्बर 336/717 रकबा 3.75 है0 की खातेदारी अप्रार्थीगण के नाम से निरस्त किये जाने योग्य है। खातेदारी निरस्त किये जाने की अभिशंषा के साथ पत्रावली माननीय निबन्धक राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को भेजकर अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र रेफरेन्स स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि पुनः माफी मन्दिर श्री बालाजी के नाम दर्ज की जावे।

निर्णय आज दिनांक 31.07.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

31/7/19

(जयप्रकाश)
अति. जिला कलक्टर, सीकर
अति0 जिला कलक्टर, सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official